


12

न्यायालय में - श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)



R 3056 II/14

इन्द्रा श्रीवास्तव, पति श्री भारतलाल श्रीवास्तव, निवासी गायत्री मंदिर के पास,
शहडोल, तहसील सोहागपुर, थाना व जिला शहडोल म.प्र.

..... आवेदिका/निगरानीकर्ता

बनाम

..... अनावेदक/गैरनिगराकार

म.प्र. शासन

श्री. कुंजभद्र भार्गव
द्वारा आज दि. 11-9-14 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

माननीय आयुक्त महोदय शहडोल संभाग
शहडोल के प्रकरण क्रमांक 82/निग./
2009-10 पारित अंतरिम आदेश दिनांक
03.09.2010 के विरुद्ध

आवेदिका निम्नलिखित कथन कर विनयी है :-


1. यह कि आराजी खसरा नंबर 563 रकवा 2.792 हेक्टेयर स्थित ग्राम गोरतरा, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल म.प्र. स्थित आराजी जिसे क्रेता प्रतिफल की राशि विक्रेता को अदाकर क्रय की और जिसका उप पंजीयक कार्यालय सोहागपुर के समक्ष विक्रय पत्र का निष्पादन दिनांक 08.09.2010 को कराया गया है।
2. यह कि कण्डिका क्रमांक 1 पर वर्णित आराजी क्रय उपरांत आवेदिका के नाम नामांतरण विधि के सम्यक अनक्रम के तहत श्रीमान तहसीलदार सोहागपुर के द्वारा किया गया और इस प्रकार राजस्व अभिलेख पर भूमि स्वामी दर्ज अभिलेख की जाकर भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदान की गई।

4/11/15

आवेदक अशोक मुनेश

आगत की तिथि चेन्नै दिनांक 2.11.15
की प्रकृता के साथ प्रस्तुत अभिप्राय
आरक्षण समान आरक्षण के अर्थ
दिनांक- 03-08-10 में जो पक्षकार ही
उनके इस प्रकरण में समाहित
करने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

आज आवेदक की ओर से
कोई अपील नहीं। आवेदक
आत्म की ओर से ही जी. रम. याणी
पैनल अधिवक्ता उपस्थित। पैनल
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किने
कि पक्षकार समामोहन के कारण
प्रकृता को अग्रारम किया गया।
प्रकृता का अपील कम किया गया
पक्षकार समामोहन कोष होने के
कारण प्रकृता इसी स्तर पर
समाप्त किया गया। ही प्रकृता
दाखिल रिकार्ड है।



अशोक मुनेश